राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2017) कैम्प कोर्ट– 22 एनटीआर

Form NO III

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

जयप्रकाश बनाम **मोहरसिंह**

प्रकरण संख्या– 155 /17 अन्तर्गत 88 आर.टी.एक्ट. बाबत धोषणा

तारीख हुक्म	हुक्म यां कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
21.06.2017	वादी के द्वारां ज़रिये अधिवक्ता वाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार) –2017 ,कैम्प 22 एनटीआर में पेश हुई प्रार्थी के द्वारा निवेदन किया गया कि रोही मौजा नेहराना के खाता संख्या 107/107 के खसरा न0 42/2 की 4.6030हैक 118/3 की 0.3660, 119/2.7690 ,258/7.4480हैक कुल 15.1860हैक भूमि वादी के दादा सांवताराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर वादी के पिता मोहरसिंह के नाम से दर्ज थी विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया गया है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की हे जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार किया तथ निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज़ नही है व राजीनामा पेश किया गया । .. हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार भूमि वादी के दादा सांवताराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होन पर विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि है अपने कथनों की ताईद में पूर्व में ही राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति व दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नेहराना के खाता संख्या 107/107 के खसरा न0 42/2 की 4.6030हैक 118/3 की 0.3660, 119/2.7690 ,258/7.4480हैक कुल 15.1860हैक में से सांवताराम के नाम से दर्ज 3.41685हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिंब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ईजराय आदेश के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आश्य की पर्चाडिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमे आम में सुनाया गया।	जयप्रकाश मोहरसिंह सुनिता सोनू

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट–22 एनटीआर

अनवान :–

1. जयप्रकाश पुत्र मोहरसिह जाति जाट निवासी नेहराना तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. मोहरसिह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी नेहराना तहसील नोहर ।
3 सुनिता 3 सोनु पि0 मोहरसिह जाति जाट सकिन नेहराना तहसील नोहर ।

प्रतिवादी

राजस्व वाद संख्या 155 सन 2017 निर्णय दिनांक 21.06.2017
वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ भानीराम उपखंण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार–20167) कैम्प 22 एनटीआर में वादी व उनके अधिवक्ता श्री मागेराम गोदारा की उपस्थिति में निणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नेहराना के खाता संख्या 107/107 के खसरा न0 42/2 की 4.6030हैक 118/3 की 0.3660, 119/2.7690 ,258/7. 4480हैक कुल 15.1860हैक में से सांवताराम के नाम से दर्ज 3.41685हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ईजराय आदेश के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से राजस्व लोक अदालत में जारी की गई।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2017
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर कैम्प कोट 22.एनटीआर